अध्याय - III

बजटीय प्रबंधन

अध्याय-III

बजटीय प्रबंधन

3.1 बजटीय प्रक्रिया

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 27 के अनुसार, उपराज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण प्रत्येक वर्ष विधानमंडल के समक्ष रखेगा।

व्यय का अनुमान व्यय के 'प्रभारित' एवं 'दत्तमत' मदों को अलग-अलग दिखाता है तथा राजस्व खातों पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कोई व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।

बजट की वार्षिक कवायद सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए रोडमैप का विवरण देने का एक साधन है। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष अगस्त में, बजट परिपत्र जारी करने के साथ बजट प्रक्रिया शुरू होती है, यह विभागों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने अनुमानों को तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. में एक विशिष्ट बजट तैयार करने की प्रक्रिया **चार्ट 3.1** में दी गई है:

चार्ट 3.1: बजट तैयार करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट

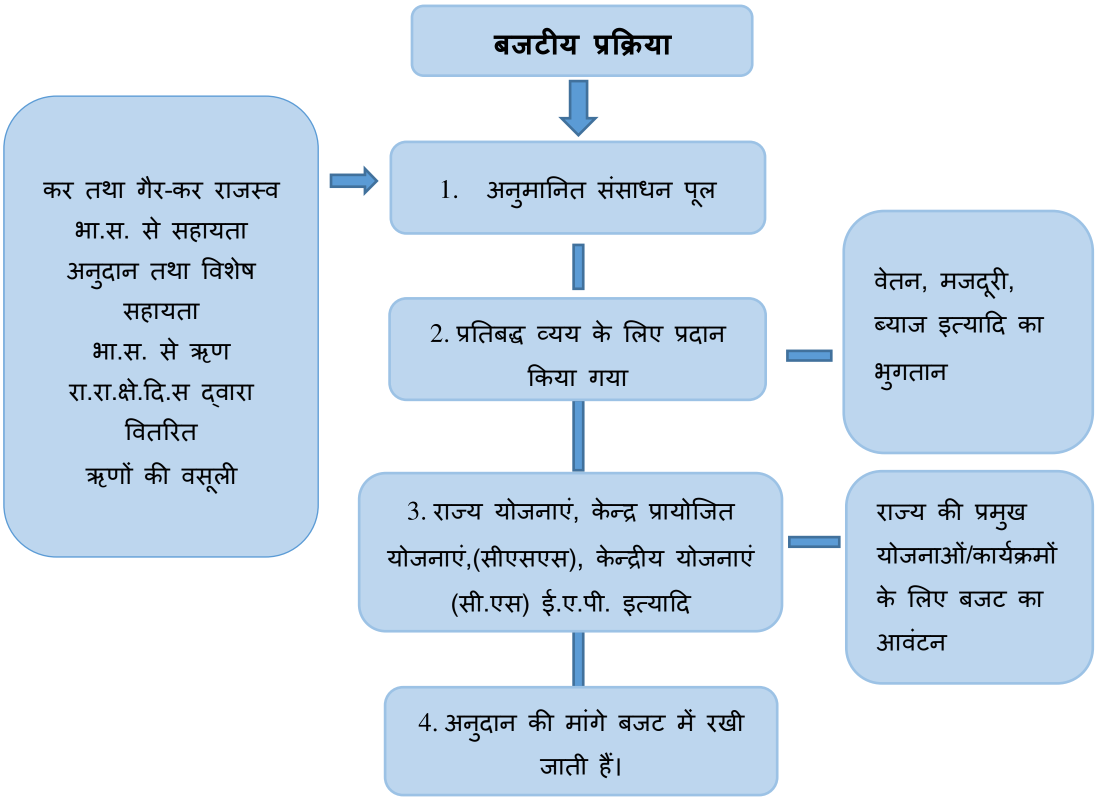

विनियोग लेखे बजट निर्माण एवं कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया के साथ आंकड़े अधिकृत करता है **(चार्ट 3.2)**।

चार्ट 3.2: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट कार्यान्वयन का फ्लो चार्ट

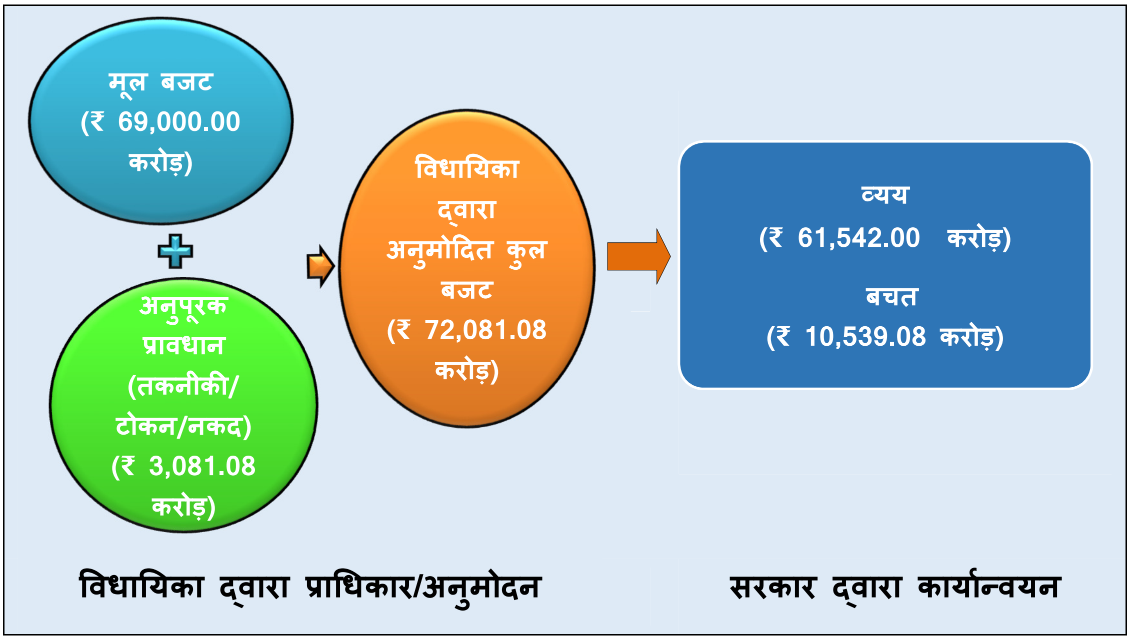

स्रोत: वर्ष 2021-22 के लिए विनियोग लेखे

3.1.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य की एक संक्षिप्त स्थिति इसके आगे दत्तमत/प्रभारित में विभाजन के साथ **तालिका 3.1** में दी गई है:

तालिका 3.1: 2021-22 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/अधिक्य (+)	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
राजस्व	50,691.85	3,776.29	42,773.10	3,629.60	(-)7,918.75	(-)146.69
पूँजीगत	10,928.37	41.14	8,283.80	36.94	(-)2,644.57	(-)4.20
लोक ऋण	0.00	4,265.17	0.00	4,215.16	0.00	(-)50.01
ऋण एवं अग्रिम	2,378.26	0.00	2,603.40	0.00	(+)225.14	0.00
कुल	**63,998.48**	**8,082.60**	**53,660.30**	**7,881.70**	**10,338.18**	**200.90**

रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपनी गतिविधियों/योजनाओं पर खर्च करने के लिए ₹ 72,081.08 करोड़ (बीई/आरई के अनुसार) परिकल्पित किया था। इसके प्रति 2021-22 के दौरान कुल प्राप्तियां केवल ₹ 61,202.62 करोड़ थी जो बीई/आरई का लगभग 85 *प्रतिशत* था। इसके अलावा, कुल संवितरण

₹ 61,246.52[1] करोड़ था। जो कुल प्राप्तियों से लगभग मेल खाता था। यह इंगित करता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. की गतिविधियों/योजनाओं पर खर्च करने के लिए तैयार किया गया बजट बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया था और वास्तविक नही था।

3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए प्रभारित तथा दत्तमत में कुल संवितरण का विभाजन **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2: 2017-18 से 2021-22 के दौरान संवितरण तथा बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान			संवितरण			बचत/आधिक्य	
	दत्तमत	प्रभारित	कुल	दत्तमत	प्रभारित	कुल	दत्तमत (प्रावधान की *प्रतिशतता में*)	प्रभारित (प्रावधान की *प्रतिशतता में*)
2017-18	44,159.42	5,042.66	49,202.08	36,369.86	4,789.56	41,159.42	7,789.57 (17.64)	253.09 (5.02)
2018-19	51,230.42	6,946.72	58,177.14	39,550.58	6,793.98	46,344.56	11,679.84 (22.80)	152.74 (2.20)
2019-20	57,305.74	6,874.94	64,180.68	45,632.91	5,877.12	51,510.03	11,672.83 (20.37)	997.82 (14.51)
2020-21	58,932.64	6,959.23	65,891.87	46,442.27	6,453.49	52,895.76	12,490.37 (21.19)	505.74 (7.27)
2021-22	63,998.48	8,082.60	72,081.08	53,660.30	7,881.70	61,542.00	10,338.18 (16.15)	200.90 (2.49)

तालिका 3.2 से देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान बजट के 'दत्तमत' हिस्से के तहत बचत 16.15 से 22.80 *प्रतिशत* के बीच रही जबकि उसी अवधि में बजट के 'प्रभारित' हिस्से के तहत बचत 2.20 से 14.51 *प्रतिशत* के बीच थी।

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत और प्रभारित अनुदान की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पित राशियां तथा पुनर्विनियोग को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं तथा विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी एवं

[1] ₹ 61,542 करोड़ - ₹ 369.66 करोड़ (वसूलियां) + ₹ 74.18 करोड़ (आकस्मिकता निधि)

राजस्व व्यय को इंगित करते हैं, जो कि विनियोग अधिनियम द्वारा बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के संबंध में अधिकृत है। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधियों के उपयोग, वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ को सुविधाजनक बनाते हैं और इसलिए वित्त लेखे का अनुपूरक है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के तहत किए गए व्यय विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकार के अंतर्गत है। यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है। इस अध्याय में वर्ष 2021-22 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखे के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल है।

विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि कुल बचत ₹ 10,539.08 करोड़ (₹ 72,081.08 करोड़ के कुल बजट का 14.62 *प्रतिशत*) थी तथा ₹ 5,081.08 करोड़ (कुल बचत का 48.21 *प्रतिशत*) की राशि अभ्यर्पित की गई। विलंब से अभ्यर्पण करने के कारण कुल बचत का ₹ 5,458 करोड़ (51.79 *प्रतिशत)* 31 मार्च 2022 को व्यपगत हो गया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पण **चार्ट 3.3** मे दिए गए हैं:

चार्ट 3.3: वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पित राशियां

(₹ करोड़ में)

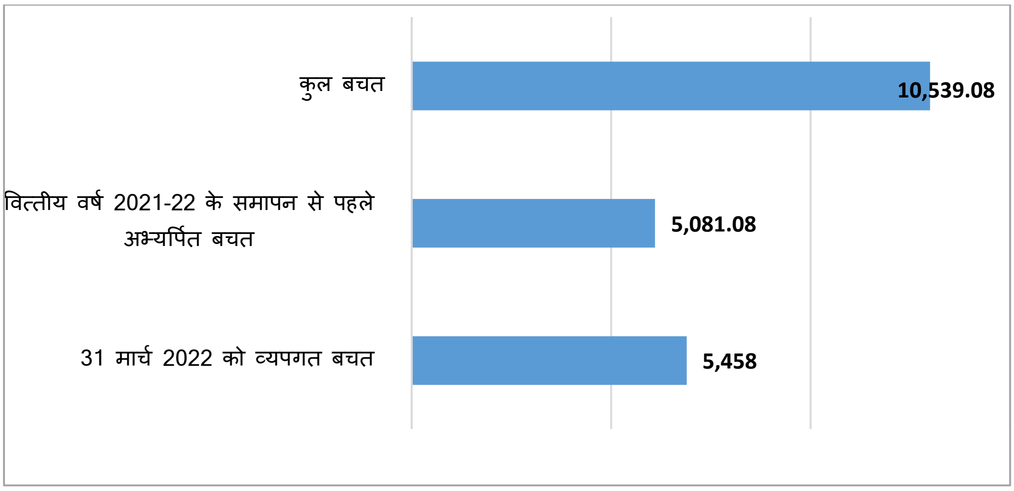

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान कुल बजट उपयोग **चार्ट 3.4** में दिया गया है।

चार्ट 3.4: 2017-18 से 2021-22 के दौरान बजट उपयोग

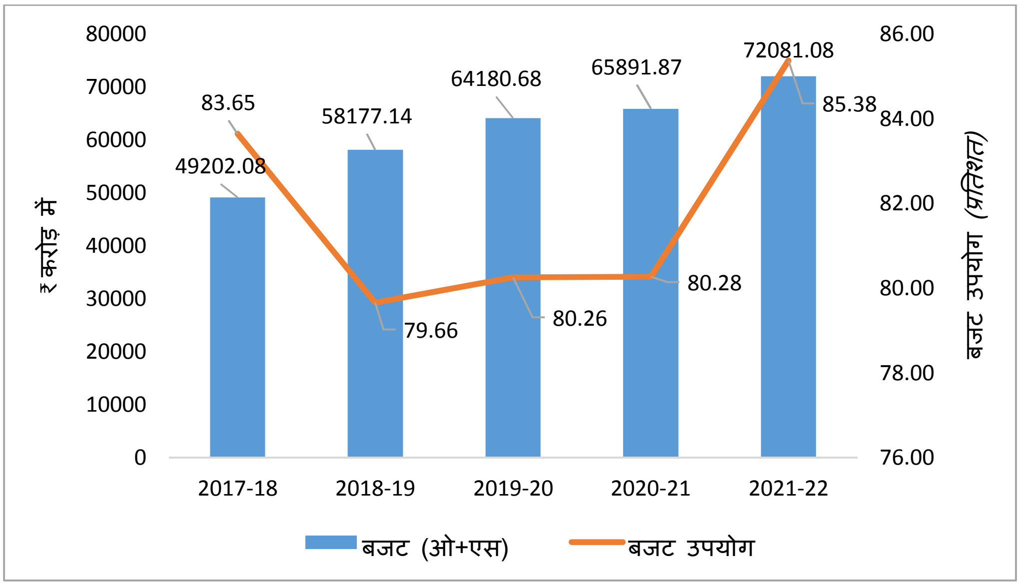

3.3 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता पर टिप्पणियाँ

3.3.1 अनावश्यक या आधिक्य अनुपूरक अनुदान

अनुपूरक अनुदान का उपयोग केवल असाधारण और आवश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना होगा और धन की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता में पूर्वानुमान करते समय उचित सावधानी बरतनी होगी।

वर्ष 2021-22 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि सात मामलों में ₹1,275.33 करोड़ के अनुपूरक अनुदान जैसा कि **तालिका 3.3** में वर्णित है, उच्चतर/अतिरिक्त व्यय के पूर्वानुमान में प्राप्त किए गए थे। हालांकि, अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम था, जिससे अनुपूरक अनुदान का इच्छित उद्देश्य निष्फल हो गया।

तालिका 3.3: उन मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं सं.	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	वास्तविक प्रावधान	व्यय	प्रावधान में से बचत
राजस्व (दत्तमत)						
1	अनुदान सं. 2 सामान्य प्रशासन	796.16	435.11	1,231.27	793.61	437.66
2	अनुदान सं. 3 न्याय का प्रशासन	1,144.27	326.89	1,471.16	1,074.89	396.27
3	अनुदान सं. 4 वित्त	350.73	10.60	361.33	261.01	100.32
4	अनुदान सं. 5 गृह	958.79	97.52	1,056.31	738.99	317.32

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं सं.	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	वास्तविक प्रावधान	व्यय	प्रावधान में से बचत
5	अनुदान सं. 7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	8,063.43	288.55	8,351.98	7,099.96	1,252.02
6	अनुदान सं. 9 उद्योग	573.93	108.66	682.59	457.69	224.90
	कुल	**11,887.31**	**1,267.33**	**13,154.64**	**10,426.15**	**2,728.49**
पूंजीगत (दत्तमत)						
7	अनुदान सं. 3 न्याय का प्रशासन	1.00	8.00	9.00	0.10	8.90
	कुल	**1.00**	**8.00**	**9.00**	**0.10**	**8.90**
	कुल योग	**11,888.31**	**1,275.33**	**13,163.64**	**10,426.25**	**2,737.39**

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि संबंधित विभागों को संशोधित/बजट अनुमान आमंत्रित करते समय वास्तविक आधार पर धन की अपनी आवश्यकता का आकलन करने और केवल उन मामलों का प्रस्ताव करने की सलाह दी गई थी, जहां पूरे धन का इस वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किए जाने की संभावना थी। इसमें आगे कहा गया कि विभागों को फिर से अलग से सलाह दी जा रही थी कि वे निधियों का वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करें और अनावश्यक या अत्याधिक अनुपूरक अनुदानों से बचें।

3.3.2 अनावश्यक या आधिक्य पुनर्विनियोग

जहाँ बचत पूर्वानुमानित है, पुनर्विनियोग, विनियोग की एक इकाई से अनुदान के अंतर्गत निधियों का दूसरी इकाई को हस्तांतरण है, जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है।

वर्ष 2021-22 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि चार अनुदानों में फैले 9 उप-शीर्षों के तहत, ₹ 15 करोड़ से अधिक की अंतिम बचत थी (प्रत्येक मामले में) जैसा कि **तालिका 3.4 (क)** में वर्णित है:

तालिका 3.4(क) निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग जहां अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ मे)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखे के शीर्ष (उप-शीर्ष-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	उप-शीर्ष के प्रति पुनर्विनियोग	कुल			
राजस्व-दत्तमत									
1	अनुदान सं. 03- न्याय का प्रशासन	2014.00.105.99 - सेशन कोर्ट	822.58	316.41	12.87	1151.86	876.03	275.83	प्रशासनिक कारणों से आशुलिपिकों को बकाया का भुगतान न करना, बिलों/दावों की प्राप्ति न होना तथा कुछ योजनाओं को अंतिम रूप न देना

(₹ करोड़ मे)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखे के शीर्ष (उप-शीर्ष-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	उप-शीर्ष के प्रति पुनर्विनियोग	कुल			
									तथा प्रशासनिक कारणों से वस्तुओं की खरीद न करना
2	अनुदान सं. 06 - शिक्षा	2202.01.112.99- बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन (के.प्रा.यो.)	50.00	0.01	34.99	85.00	42.39	42.61	भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शेयर जारी करने में विलंब
3		2202.02.113.98 - समग्र शिक्षा (राज्य का हिस्सा)	42.00	0.01	1.99	44.00	18.22	25.78	भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शेयर जारी करने में विलंब
4		2202.02.113.97- समग्र शिक्षा (के.प्रा.यो.)	50.00	0.01	14.99	65.00	20.75	44.25	भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शेयर जारी करने में विलंब
5	अनुदान सं. 10 - विकास	3604.00.102.98.96- करों में हिस्से के बदले में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	800.00	178.72	121.28	1100.00	916.72	183.28	लॉकडाउन और कोविड-19 प्रतिबंधो से स्टाम्प पेपर की बिक्री पर प्रभाव पड़ा क्योंकि सब रजिस्ट्रार कार्यालय बंद थे।
6	अनुदान सं. 11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	3475.00.108.94 - दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन (के.प्रा.यो.)	4.00	0.01	18.00	22.01	0.00	22.01	भारत सरकार से निधियों का जारी न होना।
7		2210.01.110.10.87 - लोक नायक अस्पताल	35.00	0.01	9.99	45.00	25.71	19.29	कार्यों के निष्पादन में देरी, कांट्रैक्टर द्वारा बिल जमा नहीं करना, रा.रा.क्षे.दि.स द्वारा कोविड-19 के कारण लगाए गए वित्तीय प्रतिबंध, रिक्त पदों, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के कगार पर बजट की प्राप्ति और पंच निर्णय के भुगतान के लिए रखा गया प्रावधान
कुल			**1803.58**	**495.18**	**214.11**	**2512.87**	**1899.82**	**613.05**	
पूंजीगत-दत्तमत									
8	अनुदान सं. 11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.101.83 - शास्त्री पार्क इंटरसैक्शन और सीलमपुर के फ्लाईओवर का	5.00	0.01	14.99	20.00	0.86	19.14	कार्यों के क्रियान्वयन में विलंब, कांट्रैक्टर द्वारा बिल जमा नहीं करना, कोविड-19 के कारण रा.रा.क्षे.दि.स.

(₹ करोड़ मे)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखे के शीर्ष (उप-शीर्ष-वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्षे.दि.स. के शीर्ष-वार विनियोग लेखे के अनुसार कारण
			मूल	अनुपूरक	उप-शीर्ष के प्रति पुनर्विनियोग	कुल			
	विभाग	निर्माण							द्वारा लगाए गए वित्तीय प्रतिबंध, रिक्त पदों, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के कगार पर बजट की प्राप्ति और पंच निर्णय के भुगतान के लिए रखा गया प्रावधान
कुल			**5.00**	**0.01**	**14.99**	**20.00**	**0.86**	**19.14**	
राजस्व-प्रभारित									
9	अनुदान सं. 3- न्याय का प्रशासन	2014.00.102.97 - निर्देश और प्रशासन	327.99	74.59	1.02	403.60	336.60	67.00	रिक्त पदों को न भरना,प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति, दौरों का कम संचालन, माननीय न्यायधीशों के लिए कार्यालयी कारों की गैर-खरीद, आईमैक और वाकॉम, यूनिफाइड चैट प्रबंधन सिस्टम ई एचडीडी, यूपीएस बैटरी इत्यादि की गैर-खरीद।
कुल			**327.99**	**74.59**	**1.02**	**403.60**	**336.60**	**67.00**	
कुल योग			**2136.57**	**569.78**	**230.12**	**2936.47**	**2237.28**	**699.19**	

इन उप-शीर्षों का पुनर्विनियोजन अनावश्यक रूप से किया गया था, क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों का भी पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे और ₹ 230.12 करोड़ के पुनर्विनियोजन के प्रति ₹ 699.19 करोड़ की संचयी गैर-उपयोगिता (बचत) थी।

यह भी देखा जा सकता है कि अधिक निधियों की माँग के लिए उद्धृत कारण सामान्य प्रकृति के थे। निधियों का उपरोक्त अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग त्रुटिपूर्ण बजट अभ्यास का सूचक था।

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि निधियों का पुनर्विनियोग विभागों द्वारा निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद प्रस्तावित किया जाता है जो वर्ष के दौरान खर्च होने की संभावना है। बचत को ध्यान में रखते हुए, विभागों को निधियों का वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करने और अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन से बचने के पुन: निर्देशित किया जा रहा है।

इसके अलावा, अनुदानों को प्रशासित करने वाले विभाग के अभिलेख के संबंध में **तालिका 3.4 (क)** के क्रम संख्या 6,7 और 8 में दर्शाए गये बचत के कारणों की नमूना जाँच से पता चला कि एक मामला (क्र.सं. 6) में दर्शाए गए कारण विनियोग लेखा में दर्शाए गए कारणों से मेल नहीं खाता था, जैसा कि नीचे **तालिका 3.4 (ख)** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.4 (ख): विभागीय अभिलेखों के अनुसार बचत का वास्तविक कारण

क्रम संख्या	अनुदान संख्या और नाम	लेखे का शीर्ष (उपशीर्ष-वार)	अंतिम बचत (₹ करोड़ में)	विभागीय अभिलेखों के रूप में कारण
1.	अनुदान सं.-11 शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग	3475.00.108.94 -दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (सीएसएस)	22.01	कोविड-19 के कारण कौशल प्रशिक्षण और स्कीम की अन्य गतिविधियों के लक्ष्य की गैर-प्राप्ति

3.3.3 अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण

सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 62(2) के अनुसार, बचत के साथ-साथ ऐसे प्रावधान जिनका लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अन्त तक प्रतीक्षा किए बिना अविलम्ब अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। भविष्य में संभावित अधिकता के लिए कोई बचत आरक्षित करके नहीं रखी जानी चाहिए। कुल बचत ₹ 10,539.08 करोड़ की थी जो कुल बजट ₹ 72,081.08 करोड़ का 14.62 *प्रतिशत* था। इसमें से छः मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत थी **(तालिका 3.5)**। ₹ 51,051.69 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति वास्तविक व्यय ₹ 43,502.19 करोड़ था तथा बचत ₹ 7,549.50 करोड़ थी।

तालिका 3.5: वर्ष 2021-22 के दौरान बड़ी बचत वाले अनुदानों का विवरण (बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	व्यपगत
राजस्व-दत्तमत								
1	अनुदान सं. 6 शिक्षा	14,008.53	0.93	14,009.46	11,238.47	2,770.99	1,625.17	1,145.82
2	अनुदान सं. 7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	8,063.43	288.55	8,351.98	7,099.96	1,252.02	229.07	1,022.95
3	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	9,326.67	0.92	9,327.59	8,358.89	968.70	137.63	831.07
4	अनुदान सं. 11 शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	9,663.07	0.26	9,663.33	8,567.92	1,095.41	626.46	468.95
कुल		**41,061.70**	**290.66**	**41,352.36**	**35,265.24**	**6,087.12**	**2,618.33**	**3,468.79**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पण	व्यपगत
पूंजीगत-दत्तमत								
5	अनुदान सं. 10 विकास	892.92	0.05	892.97	318.35	574.62	529.73	44.89
6	अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	8,806.00	0.36	8,806.36	7,918.60	887.76	252.14	635.62
कुल		**9,698.92**	**0.41**	**9,699.33**	**8,236.95**	**1,462.38**	**781.87**	**680.5**
कुल योग		**50,760.62**	**291.07**	**51,051.69**	**43,502.19**	**7,549.50**	**3,400.20**	**4,149.30**

इसके अलावा, **तालिका 3.5** से यह देखा जा सकता है कि मूल बजट प्रावधान में से ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत के बावजूद, अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए।

बचत की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों **(तालिका 3.5)** की संख्या के वितरण से पता चलता है **(चार्ट 3.5)** कि पाँच अनुदानों में संबंधित प्रावधानों का 10 से 20 *प्रतिशत* होने के कारण बचत राशि ₹ 6,974.88 करोड़ थी। हालांकि, एक अनुदान (पूंजीगत दत्तमत खंड की अनुदान सं. 10 - विकास) में संबंधित प्रावधान का 64.35 *प्रतिशत* होने के कारण बचत ₹ 574.62 करोड़ की थी।

चार्ट 3.5: प्रत्येक समूह में कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों (राजस्व दत्तमत/पूंजीगत दत्तमत) की संख्या

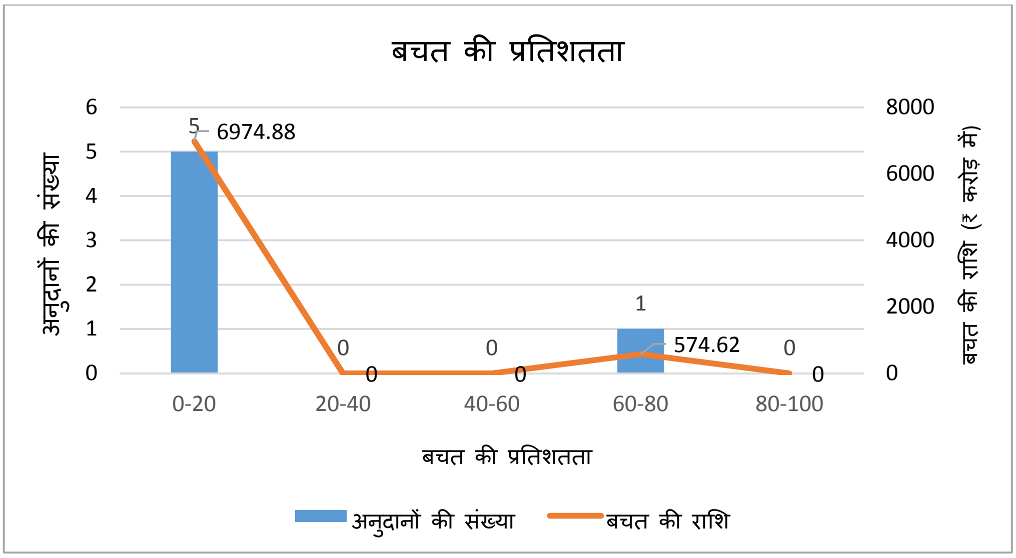

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 10 अनुदानों में ₹ 9,836 करोड़ की कुल बचत थी और ₹ 4,883.52 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई थी। कुल बचत में से ₹ 4,952.48 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) मार्च 2022 के अंत में व्यपगत हो गए, जैसा कि **तालिका 3.6** में वर्णित है:

तालिका 3.6: मार्च 2022 के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ मे)

<table>
<tr><th>क्र. स.</th><th>अनुदान सं. एवं नाम</th><th>मूल अनुदान/ विनियोग</th><th>अनुपूरक अनुदान/ विनियोग</th><th>कुल अनुदान/ विनियोग</th><th>व्यय</th><th>बचत</th><th>वर्ष के दौरान अभ्यर्पण</th><th>व्यपगत</th></tr>
<tr><td colspan="9">राजस्व (दत्तमत)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>अनुदान सं. 2 - सामान्य प्रशासन</td><td>796.16</td><td>435.11</td><td>1231.27</td><td>793.61</td><td>437.66</td><td>376.12</td><td>61.54</td></tr>
<tr><td colspan="9">बचत और अभ्यर्पण के कारण[2]: बचत अन्य कारणों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना आदि की योजना के गैर-संचालन के कारण हुई (₹ 219.46 करोड़)। बचत के अभ्यर्पण के लिए रिक्त पदों, ओटीए, मजदूरी के लिए बिलों की गैर-प्राप्ति, विज्ञापन और प्रचार पर कम व्यय, पदधारियों का स्थानांतरण आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अनुदान सं. 3 - न्याय का प्रशासन</td><td>1144.27</td><td>326.89</td><td>1471.16</td><td>1074.88</td><td>396.28</td><td>81.99</td><td>314.29</td></tr>
<tr><td colspan="9">बचत और अभ्यर्पण के कारण: बचत अन्य बातों के साथ-साथ आशुलिपिकों को बकाया का भुगतान न करने, योजनाएं आदि को अंतिम रूप न देने के कारण हुई (₹ 262.96 करोड़)। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कोविड के कारण आपराधिक गतिविधियों में कमी, रिक्त पदों आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अनुदान सं. 4 - वित्त</td><td>350.73</td><td>10.6</td><td>361.33</td><td>261.01</td><td>100.32</td><td>68.26</td><td>32.06</td></tr>
<tr><td colspan="9">बचत और अभ्यर्पण के कारण: बचत अन्य बातों के साथ-साथ आईटी अवसंरचना प्रस्तावों इत्यादि से संबंधित खरीद को अंतिम रूप देने के कारण (₹ 28.45 करोड़); बिजली, टेलीफोन बिल आदि के संबंध में प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त न करना (₹ 31.34 करोड़) हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पदों को न भरने, पदधारियों के स्थानांतरण आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>अनुदान सं. 5 -गृह</td><td>958.79</td><td>97.52</td><td>1056.31</td><td>738.98</td><td>317.33</td><td>282.23</td><td>35.10</td></tr>
<tr><td colspan="9">बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ जेलों में रिक्त पदों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण, कम खरीद (₹ 234.36 करोड़); कम खरीद, दिल्ली अग्निशमन सेवा के कम्प्यूटरीकरण की योजना का गैर-कार्यान्वयन (₹ 249.08 करोड़) आदि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पदों को न भरने, पदधारियों के स्थानांतरण आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>अनुदान सं. 6 - शिक्षा</td><td>14008.53</td><td>0.93</td><td>14009.46</td><td>11238.46</td><td>2771</td><td>1625.17</td><td>1145.83</td></tr>
<tr><td colspan="9">बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ ऑनलाइन मूल्यांकन योजना के गैर-कार्यान्वयन (₹ 150 करोड़); समग्र शिक्षा योजना के संबंध में भारत सरकार के केंद्रीय हिस्से की देरी से जारी होना (₹ 383.79 करोड़); स्कूलों को आंशिक रूप से बंद करना; राजकीय माध्यमिक विद्यालयों आदि में प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को न भरने आदि (₹ 198.61 करोड़); रा.रा.क्षे.दि.स. के शुद्ध कर संग्रह के अनुसार एनडीएमसी, एसडीएमसी, ईडीएमसी (प्राथमिक शिक्षा के लिए) जैसे स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करना (₹ 336.26 करोड़); प्रारंभिक स्टेज में डिजिटल क्लासरूम योजना (₹ 249.83 करोड़) आदि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ छात्रों के दौरों और क्लब गतिविधि के गैर-संचालन; एनएसयूटी के साथ अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान का विलय आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य</td><td>8063.43</td><td>288.55</td><td>8351.98</td><td>7099.96</td><td>1252.02</td><td>229.07</td><td>1022.95</td></tr>
<tr><td colspan="9">बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ एनआरएचएम के तहत आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईआरएचएसपीपी) हेतु निधि की कम प्राप्ति (₹ 193 करोड़), आम आदमी मौहल्ला क्लिनिक के लिए दिल्ली राज्स स्वास्थ्य मिशन, को कम अनुदान जारी करना (₹ 154.62 करोड़), रिक्त पद, स्टाफ का तबादला, केंद्रीय खरीद ऐजंसी और राज्य औषधि</td></tr>
</table>

[2] विनियोग लेखे और अभ्यर्पण विवरणी के अनुसार

(₹ करोड़ मे)

क्र. स.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
प्राधिकरण में कम खरीद (₹ 177.58 करोड़)। आदि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पदों को न भरने, पदधारियों का स्थानांतरण आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
7.	अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण	9326.67	0.92	9327.59	8358.89	968.7	137.63	831.07
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ बैंक द्वारा लौटाई गई वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना के तहत असंवितरित पेंशन, डुप्लीकेट मामलों के बंद होने (₹ 159.31 करोड़); क्लस्टर बसों की कमी को पूरा करने के लिए कम मुआवजा जारी करना (₹ 125 करोड़); कम लाभार्थियों के कारण महिला यात्रियों के लिये, डीटीसी और क्लस्टर बसों को कम सब्सिडी जारी करना, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसों को चलाने की अनुमति से कम यात्री (₹ 228.61 करोड़) इत्यादि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पदों को न भरने, स्टाफ का तबादला, योजना में परिवर्तन आदि को जिम्मेदार ठहराया गया।								
8.	अनुदान सं. 9 - उद्योग	573.93	108.66	682.59	457.69	224.9	87.52	137.38
बचत और अभ्यर्पण के कारण: बचत अन्य बातों के साथ-साथ मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना (₹ 220 करोड़) के गैर-कार्यान्वयन आदि के कारण हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पद, मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना इत्यादि के गैर-कार्यान्वयन को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
9.	अनुदा सं. 11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	9663.07	0.26	9663.33	8567.92	1095.41	626.46	468.95
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ सहायता अनुदान कम जारी करने और दिल्ली जल बोर्ड के पास उपलब्ध अव्ययित शेष (₹ 337.50 करोड़) रा.रा.क्षे.दि.स. के शुद्ध कर संग्रह पर आधारित ईडीएमसी, एनडीएमसी और एसडीएससी को मूल कर कम जारी करने (₹ 387.67 करोड़) इत्यादि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ - साथ रिक्त पदों, भारत सरकार से निधियों की गैर-प्राप्ति आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
	कुल	**44,885.58**	**1,269.44**	**46,155.02**	**38,591.40**	**7,563.62**	**3514.45**	**4,049.17**
पूंजी (दत्तमत)								
10.	अनुदान सं. 5 - गृह	103.05	0.02	103.07	17.68	85.39	70.17	15.22
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष के अंत में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने (₹ 43.37 करोड़); मोटर वाहन की खरीद न करना (₹ 36 करोड़) आदि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण हेतु मोटर वाहनों आदि की खरीद न करने को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
11.	अनुदान सं. 7 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	369.45	0.07	369.52	213.14	156.38	78.28	78.10
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ खरीद एजेंसी और राज्य औषधि प्राधिकरण आदि के लिए कम उपकरणों की खरीद (₹ 86.63 करोड़); जीबी अस्पताल के लिए अस्पतालों के उपकरण आदि के खरीद प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने (₹ 48.59 करोड़) आदि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ मशीनरी एवं उपकरण की खरीद और मोटर वाहन आदि की खरीद नहीं करने को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
12.	अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण	2232.87	0.01	2232.88	1664.65	568.23	438.75	129.48
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ बसों की खरीद पर कोई निवेश न होने (₹ 550 करोड़) एवं बस्तियों आदि के सुधार से संबंधित कार्यो की धीमी प्रगति (₹ 30.31 करोड़) के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ कार्य की धीमी प्रगति को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
13.	अनुदान सं. 10 - विकास विभाग	892.92	0.05	892.97	318.35	574.62	529.73	44.89

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण गाँवों के एकीकृत विकास से संबंधित कार्य की धीमी प्रगति के कारण बचत हुई (₹ 147.85 करोड़)। बचत के समर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कार्य की धीमी प्रगति को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
14.	अनुदान सं. 11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	8806	0.36	8806.36	7918.6	887.76	252.14	635.62
	कुल	**12,404.29**	**0.51**	**12,404.80**	**10,132.42**	**2,272.38**	**1369.07**	**903.31**
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और मुख्यमंत्री मोहल्ला सुरक्षा योजना के गैर-कार्यान्वयन (₹ 500 करोड़), धीमी गति से कार्य, मुख्यमंत्री सड़क पुनरुद्धार योजना को अंतिम रूप न देना (₹ 272.81 करोड़); सड़क के फुटपाथ की स्वीकृति न होना (नई परियोजनाओं के लिए) (₹ 255.19 करोड़); कार्यों के निष्पादन में देरी, बारापुला नाला फेज-III के इलेवेटेड कॉरिडोर के निर्माण और सीसीटीवी कैमरों की स्थापना से संबंधित ठेकेदारों आदि द्वारा बिलों का जमा न करना आदि के कारण बचत हुई। बचत के समर्पण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कार्यों की धीमी प्रगति आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
	कुल योग	**57,289.87**	**1,269.95**	**58,559.82**	**48,723.82**	**9,836.00**	**4,883.52**	**4,952.48**

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि विभागों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जा रही थी कि अनुमानों का निर्माण वास्तविक आधार पर हो और अनुचित आशावाद से प्रभावित न हो।

3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.4.1 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

वित्तीय नियम/बजट नियमावली उन मामलों को छोड़कर अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान को प्रतिबंधित करती है, जहां आकस्मिक स्थितियों को पूरा करने के लिए या किसी परियोजना/योजना पर प्रारंभिक खर्चों को पूरा करने के लिए तत्काल उपाय प्रदान किए जाते हैं, जिसे वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट नोट में प्रस्तावित प्रावधान को उचित ठहराने वाले विस्तृत स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने चार अनुदानों के अंतर्गत कुल एकमुश्त बजटीय प्रावधान ₹ 319.00 करोड़ में से ₹ 170.07 करोड़ व्यय किया। व्यय के सटीक उद्देश्य की पहचान किए बिना एकमुश्त प्रावधान पारदर्शिता को भंग करता है। आगे, वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम 1978 के नियम 3 के उप नियम 6 के अनुसार ₹ 10 लाख से कम लागत वाले कार्यों को छोड़कर आम तौर पर बजट में कोई एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाएगा। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि चार अनुदानों के अधीन 17 मामलों में जैसा कि **तालिका 3.7** में वर्णित किया गया है, ₹ 10 लाख की धनराशि निर्धारित सीमा से अधिक थी। इसके अतिरिक्त,

यह भी देखा गया कि अनुदान संख्या 10 और अनुदान संख्या 11 के उप-शीर्षों के तहत समरूप एक मुश्त प्रावधान पिछले वर्ष भी किए गए थे।

तालिका 3.7: वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए एकमुश्त प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	एकमुश्त प्रावधान	एकमुश्त प्रावधान से व्यय	कथित उद्देश्य
1.	3-न्याय का प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	2014.00.105.97.00.42	1.20	0.12	जिला एवं सत्र न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण
2.	7-सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (राजस्व-दत्तमत)	2210.06.800.70.00.42	70.00	3.43	अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरूआत
3.	10-विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	5425.00.208.84.00.42	1.00	0.00	बागवानी कार्य
4.	11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग (पूंजीगत-दत्तमत)	5054.04.800.99.00.42	40.00	36.80	सड़कों और पुलों का निर्माण
5.	11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग (पूंजीगत-दत्तमत)	4055.00.212.90.00.42	10.00	6.43	दिल्ली फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला
6.		4059.60.051.80.90.42	20.00	21.94	न्यायपालिका के लिए ढ़ांचागत सुविधाएं
7.		4070.00.800.89.00.42	25.00	23.06	सेंट्रल जेल बिल्डिंग
8.		4202.01.800.97.00.42	30.00	10.54	मौजूदा ईमारतों में जीर्णोद्वार कार्यें
9.		4202.02.105.88.00.42	4.00	1.06	जी.बी.पंत इंजीनियरिंग कॉलेज
10.		4202.03.800.89.00.42	50.30	29.58	खेल के मैदानों, खेल परिसर और स्वीमिंग पूल आदि का विकास
11.		4202.04.101.99.00.42	2.00	1.31	कला महाविद्यालय
12.		4202.04.104.96.00.42	3.00	1.01	अभिलेखागार विभाग
13.		4210.03.102.98.00.42	3.50	2.10	होम्योपैथिक के स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विकास
14.		4235.02.101.87.00.42	9.00	1.14	मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए गृह का विकास
15.		4235.02.104.94.00.42	15.00	6.06	वृद्धाश्रम
16.		4235.02.800.90.00.42	5.00	5.27	मौजूदा भवन में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (लो.नि.वि.)
17.		5054.04.800.99.00.42	30.00	20.22	सड़कों और पूलों का निर्माण
कुल योग			**319.00**	**170.07**	

स्रोतः प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि मौजूदा एकमुश्त प्रावधानों को संशोधित अनुमान 2022-23 और आगामी बजट अनुमानों में सुधारा जायेगा।

3.5 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

3.5.1 अपेक्षित तथा वास्तविक के बीच बजट प्रक्षेपण एवं अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों एवं सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता एवं कमजोर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित बजटीय आवंटन विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच उप-इष्टतम आवंटन की ओर ले जाता है। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित करती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2021-22 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ₹ 72,081.08 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति केवल ₹ 61,542.00 करोड़ का उपयोग कर सके तथा ₹ 10,539.08 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 5,458.00 करोड़ (51.79 *प्रतिशत*) की बचत 31 मार्च 2022 को व्यपगत हो गया था। विवरण **तालिका 3.8** में दिये गये हैं:

तालिका 3.8: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ अतिरिक्त (+)	31 मार्च 2022 को व्यपगत	
							राशि	प्रतिशतता
दत्तमत	I. राजस्व	48,099.65	2,592.20	5,0691.85	42,773.10	(-)7,918.75	4,378.01	55.29
	II. पूंजीगत	10,516.24	412.13	1,0928.37	8,283.80	(-)2,644.57	994.51	41.11
	III. ऋण एवं अग्रिम	2,378.23	0.03	2378.26	2603.40	(+)225.14	0.00	0.00
कुल दत्तमत		**60,994.12**	**3,004.36**	**63,998.48**	**53,660.30**	**(-)10,338.18**	**5,372.52**	**51.97**
प्रभारित	I. राजस्व	3,699.71	76.58	3,776.29	3,629.60	(-)146.69	81.53	55.58
	II. पूँजीगत	41.00	0.14	41.14	36.94	(-)4.20	3.94	93.81
	लोक ऋण	4,265.17	0.00	4,265.17	4,215.16	(-)50.01	0.01	0.02
	III. ऋणों एवं अग्रिमों	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल प्रभारित		**8,005.88**	**76.72**	**8,082.60**	**7,881.70**	**(-)200.90**	**85.48**	**42.55**
आकस्मिकता निधि का विनियोग (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग		**69,000.00**	**3,081.08**	**72,081.08**	**61,542.00**	**(-)10,539.08**	**5,458.00**	**51.79**

स्रोतः विनियोग लेखे

वर्ष 2021-22 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तैयार किए गए ₹ 69,000.00 करोड़ के मूल बजट को संशोधित करके ₹ 72,081.08 करोड़ कर दिया गया जिसके प्रति वास्तविक व्यय ₹ 61,542.00 करोड़ था। 2017-18 से 2021-22

की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित बजट अनुमानों तथा वास्तविक व्यय के विवरणों को **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: 2017-18 से 2021-22 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
मूल बजट	48,000.00	53,000.01	60,000.00	65,000.00	69,000.00
अनुपूरक बजट	1,202.08	5,177.13	4,180.68	891.87	3,081.08
संशोधित अनुमान	49,202.08	58,177.14	64,180.68	65,891.87	72,081.08
वास्तविक व्यय	41,159.42	46,344.56	51,510.03	52,895.76	61,542.00
बचत/आधिक्य	8,042.66	11,832.58	12,670.65	12,996.11	10,539.08
बचत की प्रतिशतता	16.35	20.34	19.74	19.72	14.62
मूल प्रावधान के प्रति अनुपूरक की प्रतिशतता	2.50	9.77	6.97	1.37	4.47

स्रोतः बजट एक नज़र में तथा संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका 3.9 से यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान कुल प्रावधान की तुलना में कुल बचत की प्रतिशतता 14.62 *प्रतिशत* (2021-22) से 20.34 *प्रतिशत* (2018-19) तक थी।

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि ₹ 69,000 करोड़ के बजट अनुमान को संशोधित कर ₹ 67,000 करोड़ कर दिया गया था और संशोधित अनुमानों के प्रति किया गया व्यय ₹ 61,542 करोड़ है, जिसके परिणामस्वरूप केवल ₹ 5,458 करोड़ की बचत हुई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधानसभा द्वारा संशोधित अनुमान ₹ 72,081.08 करोड़ के प्रति ₹ 10,539.08 करोड़ की बचत बताई गई थी।

वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख लेखाशीर्षों के अंतर्गत बजट अनुमान के आंकड़े की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व व्यय (वास्तविक) **तालिका 3.10** में दिया गया है।

तालिका 3.10: वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान के आंकड़ों की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व व्यय (वास्तविक)

(₹ करोड़ में)

व्यय शीर्ष (लेखाओं के मुख्य शीर्ष)	ब.अ. (बजट एक नजर में के अनुसार)	वास्तविक (₹ करोड़ में)	बजट अनुमान तथा वास्तविक में अंतर	प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी
राजकोषीय सेवायें				
राज्य उत्पाद	51.24	44.95	(-)6.29	(-)12.28
वाहनों पर कर	288.26	161.81	(-)126.45	(-)43.87
जी.एस.टी. के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	135.42	91.09	(-)44.33	(-)32.74

(₹ करोड़ में)

व्यय शीर्ष (लेखाओं के मुख्य शीर्ष)	ब.अ. (बजट एक नजर में के अनुसार)	वास्तविक (₹ करोड़ में)	बजट अनुमान तथा वास्तविक में अंतर	प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी
प्रशासनिक सेवायें				
जेल	530.21	372.49	(-)157.72	(-)29.75
लोक निर्माण	512.93	528.41	15.48	(+)3.02
सामाजिक सेवायें				
सामान्य शिक्षा	12948.56	10283.93	(-)2664.63	(-)20.58
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	8474.29	7537.26	(-)937.03	(-)11.06
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1630.50	1136.53	(-)493.97	(-)30.29
शहरी विकास	1034.69	661.59	(-)373.1	(-)36.06
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3685.36	3570.48	(-)114.88	(-)3.12
आर्थिक सेवायें				
नागरिक आपूर्ति	449.28	378.9	(-)70.38	(-)15.67
बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी	281.34	264.48	(-)16.86	(-)5.99
ऊर्जा	3117.41	3266.97	149.56	(+)4.80
संड़कें तथा पुल	536.8	658.15	121.35	(+)22.61
सड़क परिवहन	4744.25	4355.88	(-)388.37	(-)8.19

तालिका 3.10, में देखा जा सकता है कि राजकोषीय सेवाओं को छोड़कर, सामाजिक सेवाओं अर्थात 'जल आपूर्ति और स्वच्छता' तथा 'शहरी विकास' की लेखा के दो शीर्षों के तहत और प्रशासनिक सेवा- 'जेल' की लेखा के एक शीर्ष के तहत व्यय में कमी (बजट अनुमान के 25 *प्रतिशत* से अधिक) थी।

3.5.2 बजट में प्रमुख नीतिगत खरीद एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

योजना के दिशा-निर्देशों/तौर-तरीकों का अनुमोदन न होने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य प्रारंभ न होने, बजट जारी न करने आदि के कारण सरकार द्वारा की गई अनेक नीतिगत पहल अंशतः अथवा पूर्णतः निष्पादित नहीं हुई थीं। यह लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ से वंचित करता है। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ अनुदानों (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) के अन्तर्गत 82 उप-शीर्षों में, ₹ 560.41 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा अप्रयुक्त रहा अथवा वित्तीय वर्ष 2021-22 की समाप्ति से पहले सरकार को वापस कर दिया गया **(परिशिष्ट-3.1)**।

संपूर्ण प्रावधान की बचत इस तथ्य का संकेतक था कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा के बाद प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए थे। योजनाएं जो संपूर्ण प्रावधान के गैर-उपयोग के कारण बंद नहीं हुई, वे थीं - एनआरएचएम के तहत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी

पैकेज के लिये अनुदान सहायता (के.प्रा.यो) (₹ 45.77 करोड़), एनआरएचएम के तहत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज के लिये अनुदान सहायता (राज्य का हिस्सा) (₹ 30.00 करोड़), दिल्ली आरोग्य कोष (₹ 40.96 करोड़), स्मार्ट सिटी के लिये एनडीएमसी को स. अनु. (के.प्रा.यो.) (₹ 50.00 करोड़), स्वच्छ भारत मिशन (के.प्रा.यो.) (₹ 33.00 करोड़), दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (के.प्रा.यो.) (₹ 22.01 करोड़), स्वच्छ भारत मिशन (राज्य का हिस्सा) (₹ 20.00 करोड़), एमआरटीएस के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु अनुपुरक ऋण (₹ 100.00 करोड़) और कमजोर वर्ग के लिये मकानों के निर्माण हेतु डीयूएसआईबी को ऋण (जे.एन.एन.यू.आर.एम) (₹ 14.93 करोड़)।

आगे, यह देखा गया कि नौ अनुदानों के 89 उप-शीर्षों में मूल बजट में ₹ 1,830.87 करोड़ का प्रावधान किया गया था (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक) **(परिशिष्ट-3.2)** परन्तु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित परिव्यय में राशि की पूरी निकासी की गई थी।

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि विभागों को सलाह दी जा रही थी कि योजना शुरू करने के लिये बजट अनुमान/संशोधित अनुमान किए जाने वाले भुगतान, संबन्धित योजना के विवरण की तैयारी और धन की उपलब्धता पर विचार करने के बाद वास्तविक आधार पर तैयार किए जाने चाहिए।

3.5.3 व्यय की अधिकता

i) जीएफआर, 2017 का नियम 62(3) प्रावधान करता है कि व्यय की अधिकता को विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इसे टाला जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय, भा.स. के दिनांक 24 जनवरी 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अंतिम तिमाही और अंतिम महीने अर्थात् वित्तीय वर्ष के मार्च में व्यय को बजट के क्रमशः 25 *प्रतिशत* और 10 *प्रतिशत* तक सीमित किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि 2021-22 के दौरान ₹ 61,172.34[3] करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 21,800.95 करोड़ (बजट का 30.24 *प्रतिशत*) का व्यय अंतिम तिमाही में किया गया जबकि ₹ 9,995.85 करोड़ (बजट का 13.87 *प्रतिशत*) मार्च 2022 के महीने के दौरान व्यय किए गए थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा

[3] ₹ 369.66 करोड़ की वसूलियां को छोड़कर

ने पाया कि छ: अनुदानों के अंतर्गत 37 उप-शीर्षों में व्यय 50 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक था, जो मार्च 2022 में किया गया था।

पिछली तिमाही के दौरान मुख्य रूप से मार्च महीने में व्यय की अधिकता, व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा वित्तीय नियमों का पालन न करने का संकेत देता है।

ii) शीर्ष जहां सम्पूर्ण व्यय मार्च 2022 में किया गया

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच अनुदानों के अंतर्गत 11 उप-शीर्षों में ₹ 1,596.02 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय मार्च 2022 में किया गया था जैसा कि विवरण **तालिका 3.11** में दिया गया है:

तालिका 3.11: शीर्ष जहाँ पर संपूर्ण व्यय मार्च 2022 में किया गया

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	मार्च के दौरान 100 *प्रतिशत* व्यय (₹ करोड़ में)
1	6 - शिक्षा	2202.02.109.53.00.31- विशेष उत्कृष्टता के स्कूल को स.अनु.	38.00
2		2202.80.107.82.00.34- शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों का कल्याण	18.15
3		4202.01.203.91.00.53- खेलकूद विश्वविधालय की स्थापना	14.91
4		4202.01.203.96.00.53- इंद्रप्रस्थ विश्वविधालय के भवन के निर्माण एवं भूमि का आवंटन	10.25
5	7 - चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	2210.01.200.71.00.31 - भारत कोविड-19 के लिए स. अनु.	330.00
6	8 - समाज कल्याण	2225.01.789.76.00.34 - सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	13.00
7		2235.02.103.22.00.50 - रियायती पास के लिए डीटीसी को सब्सिडी	13.50
8		3055.00.190.99.00.33- डीटीसी एवं क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरा लगवाना (राज्य का हिस्सा)	38.46
9	10 - विकास	2245.80.101.99.00.50- ग्रामीण गावों के एकीकृत विकास के तहत कार्यों के लिए ग्राम विकास बोर्ड	169.75
10	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.101.76.00.53- आश्रम से डीएनडी तक फ़्लाइओवर का निर्माण	50.00
11		7615.00.200.75.00.55- वेज एण्ड मिन्स सपोर्ट के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण	900.00
कुल			**1596.02**

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि कोविड-19 के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान नकदी प्रबंधन और व्यय के युक्तिकरण के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। उपरोक्त

तालिका के बिन्दु संख्या 1,3,4,5,9 और 11 के संबंध में, विभाग ने कहा कि राशि (₹ 1,596.02 करोड़ में से ₹ 1,462.91 करोड़) संशोधित अनुमानों में आवंटित की गई थी और तदनुसार आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जारी की गई थी। आगे कहा गया है कि शेष ₹ 83.11 करोड़ (क्र.स. 2,6,7 और 8) छात्रवृति, वृत्तिका, सब्सिडी और विधवा पेंशन से संबन्धित भुगतान एक-बार भुगतान के रूप में थे। क्र.सं. 10 (₹ 50 करोड़) प्रतिबंधों के तहत कवर आइटम से संबन्धित थे।

तथ्य यह है कि सामान्य वित्तीय नियमो और वित्तमंत्रालय के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन नहीं किया गया। अतः, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सत्र के प्रारंभ में छात्रवृत्ति और वृत्तिका का संवितरण किया जाना होता है। इसके अलावा विधवा पेंशन का संवितरण मासिक आधार पर किया जाना होता है। इसके अलावा व्यय की अधिकता से बचा जा सकता था यदि संशोधित अनुमानों में धन का आंवटन किया गया होता और उसे समय पर जारी किया गया होता।

iii) केवल मार्च 2022 में 50 *प्रतिशत* से अधिक व्यय के साथ अनुदान

लेखापरीक्षा ने पाया कि छह अनुदानों के अंतर्गत 25 उप-शीर्षों में ₹ 3,211.99 करोड़ का व्यय कुल व्यय का 50 *प्रतिशत* से 99.87 *प्रतिशत* के बीच मार्च 2022 में किया गया था जैसा कि **तालिका 3.12** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.12: केवल मार्च 2022 में 50 *प्रतिशत* से अधिक व्यय के साथ अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं./नाम	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	अंतिम तिमाही में कुल व्यय		मार्च 2022 में कुल व्यय	
			राशि	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
1	5 - गृह	2056.00.001.99.00.28	114.44	106.02	92.65	102.71	89.76
2	6 - शिक्षा	2202.02.101.97.00.31	30.00	25.00	83.33	25.00	83.33
3	6 - शिक्षा	2202.02.113.95.00.01	42.80	40.57	94.79	40.57	94.79
4	6 - शिक्षा	2202.02.789.94.00.33	37.75	37.75	100.00	29.07	77.00
5	6 - शिक्षा	2202.02.800.40.00.33	181.67	151.67	83.49	109.96	60.53
6	6 - शिक्षा	2202.03.102.84.00.31	44.25	34.25	77.40	34.25	77.40
7	6 - शिक्षा	2230.03.101.91.00.31	18.99	14.30	75.32	14.30	75.32
8	6 - शिक्षा	4202.01.600.94.00.53	132.28	124.23	93.92	87.76	66.35
9	6 - शिक्षा	4202.02.105.82.00.53	558.33	404.36	72.42	381.77	68.38
10	7 -चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.06.800.82.00.31	40.00	35.00	87.50	25.00	62.50
11	8 - समाज कल्याण	2225.01.277.43.00.34	30.00	22.28	74.28	22.28	74.29
12	8 - समाज कल्याण	2225.01.277.71.00.50	47.34	29.73	62.80	29.42	62.16

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं./नाम	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	अंतिम तिमाही में कुल व्यय		मार्च 2022 में कुल व्यय	
			राशि	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
13	8 - समाज कल्याण	2235.02.103.33.00.50	79.63	64.40	80.87	40.28	50.59
14	8 - समाज कल्याण	3055.00.190.90.00.31	103.31	103.31	100.00	78.31	75.80
15	8 - समाज कल्याण	5055.00.050.85.00.53	447.30	392.55	87.76	382.87	85.60
16	8 - समाज कल्याण	5055..00.190.80.00.54	800.00	450.00	56.25	450.00	56.25
17	8 - समाज कल्याण	7055.00.190.94.00.55	150.00	100.00	66.67	100.00	66.67
18	10 - विकास	2052.00.090.48.00.31	60.00	59.93	99.88	59.92	99.88
19	10 - विकास	2235.60.200.62.00.50	24.00	13.00	54.17	13.00	54.17
20	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2210.01.110.10.95.27	18.98	14.01	73.80	10.03	52.82
21	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2217.04.191.55.0035	206.20	106.20	51.50	106.20	51.50
22	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4202.01.600.92.0053	67.70	54.24	80.12	54.24	80.12
23	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4217.60.050.95.00.53	1056.77	842.81	79.75	772.55	73.11
24	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.337.89.00.53	44.05	43.00	97.61	30.00	68.10
25	11 - शहरी विकास एवं लोक निर्माण	7615.00.200.81.00.55	325.00	268.75	82.69	212.50	65.38
कुल			**4660.79**	**3537.36**		**3211.99**	

स्रोतः प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. (अक्टूबर 2022) ने व्यय की अधिकता के लिए (i) राज्य से लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद जेलों और अन्य राज्यों से तैनात सुरक्षाकर्मियों के लिए किए गए भुगतान (उपर्युक्त तालिका का क्रम संख्या 1), (ii) विधान सभा के अनुमोदन से संशोधित अनुमानों (आरई) में धन की वृद्धि के संबंध में (क) दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान (स.अ.), (ख) समग्र शिक्षा-अध्यापक शिक्षा का बजट प्रावधान (ग) खेल विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान (घ) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (ड)स्कूल भवनों और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की आउटसोर्सिंग, (च) भारतीय लीवर और बाईलरी विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान (तालिका के क्रम संख्या 2,3,6-10); (iii) आवश्यक सत्यापन के बाद स्कूल वर्दी, छात्रवृति एवं वृत्तिका और शिक्षण शुल्क, लाड़ली योजना आदि की प्रतिपूर्ति के लिये किये गये भुगतान (तालिका के क्रम संख्या 4-5,11-12,13); केवल आरई चरण में परिवहन विभाग के लिये भुगतान का प्रावधान (क्रम संख्या 14), राजस्व संग्रह की स्थिति के कारण वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में जारी भुगतान (क्रम संख्या 15-18), आरई में वक्फ बोर्ड को धन का प्रावधान (क्रम संख्या 19); और समिति की आवश्यकता एवं अनुमोदन के

अनुसार युद्ध/ऑपरेशन में मरने वाले रक्षा कर्मियों को अनुग्रह राशि का भुगतान (क्र.स.20); आरई में निधियों का प्रावधान और उसका भुगतान (क्र.सं.21); भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त निधियों को ध्यान में रखते हुए आरई में निधियों की वृद्धि (क्र. स. 22); कोविड़-19 के कारण नकदी प्रबंधन के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूंजीगत कार्यों से संबंधित भुगतानों को विनियमित किया जा रहा है (क्रमांक 23-25)।

तथ्य यह है कि सामान्य वित्तीय नियम एवं वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त जेलों को देर से भुगतान, संशोधित अनुमान में निधियों की वृद्धि/आवंटन में देरी, सब्सिडी, छात्रवृत्ति और शिक्षण शुल्क आदि का देर से भुगतान, व्यय की अधिकता के औचित्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

चार्ट 3.6: वि.व. 2021-22 के दौरान मासिक प्राप्तियाँ एवं व्यय

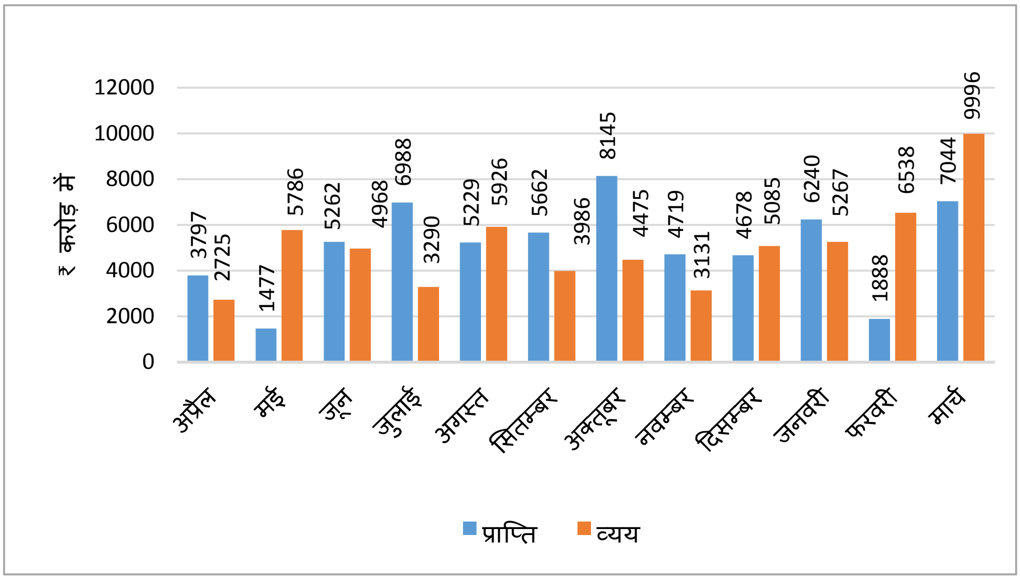

चार्ट 3.6 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की माह-वार प्राप्तियां कुल प्राप्तियां ₹ 61,128 करोड़ के 2.42 *प्रतिशत* (मई) से 13.32 *प्रतिशत* (अक्टूबर) के बीच थीं, जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. का माह-वार व्यय (शुद्ध वसूली) कुल व्यय ₹ 61,173 करोड़ के 4.45 *प्रतिशत* (अप्रैल) से 16.34 *प्रतिशत* (मार्च) के बीच था।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि 'अनुदान सं. 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण' के संबंध में व्यय की बहुत अधिक प्रतिशतता मार्च महीने में थी जैसा कि **चार्ट 3.7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.7: वर्ष 2021-22 के दौरान मार्च 2022 में व्यय की बहुत अधिक प्रतिशतता के साथ अनुदान सं. - 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण का माह-वार व्यय

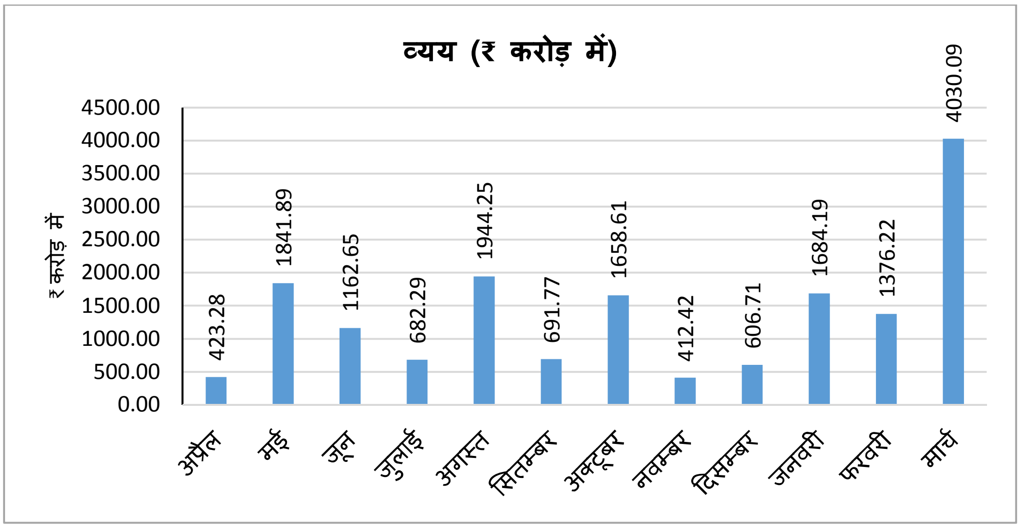

लेखापरीक्षा ने देखा कि शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग (अनुदान सं. 11) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम महीने में कुल व्यय का 24.40 *प्रतिशत* व्यय किया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अंत में व्यय की अधिकता खराब बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

3.5.4 अनुदान की उपयोगिता में कमी (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (जीआईए) के तहत रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने ₹ 228.03 करोड़ (₹ एक करोड़ और अधिक) के प्रावधानों को मंजूरी दी थी, जिसे चार अनुदानों के 12 उप-शीर्षो में संशोधित कर ₹ 159.34 करोड़ कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि जनवरी से मार्च 2022 के दौरान भारत सरकार से ₹ 159.34 करोड़ के प्रति केवल ₹ 36.10 करोड़ प्राप्त हुए तथा इसके प्रति कोई व्यय नहीं किया गया। विवरण **परिशिष्ट 3.3** में है।

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2022) कि **परिशिष्ट 3.3** के क्र.सं. 1,4,9,10,11 एवं 12 के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभागों को अधिकृत किया गया है। यह भी कहा गया कि शेष मामलों के लिए कोई धन प्राधिकरण के लिए उपलब्ध नहीं था।

3.5.5 अनुदान सं. 11 - 'शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग' का परिणाम

अनुदान के अंतर्गत बजट प्रक्रियाओं, धन की निगरानी और नियंत्रण तंत्र के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के अनुदान संख्या - 11 'शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई। यह अनुदान 'शहरी विकास विभाग', 'लोक निर्माण विभाग', 'भूमि एवं भवन विभाग', 'आवास ऋण विभाग', 'बिजली विभाग' और 'राज्य निर्वाचन आयोग' को सौंपा गया है। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित मुद्दे देखे गए।

बजट एवं व्यय

(i) विगत तीन वर्षों के लिए अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, किए गए व्यय एवं बचतों की संपूर्ण स्थिति **तालिका 3.13** में दी गयी है:

तालिका 3.13: बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

	प्रावधान		व्यय		बचत	
वर्ष	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2019-20	19332.24	0.34	15300.94	0.19	4031.30	0.15
2020-21	19472.94	1.06	16659.22	0.01	2813.72	1.05
2021-22	18469.69	40.82	16486.52	36.94	1983.17	3.88

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

(ii) असाधारण और अत्यावश्यक मामलों में ही अनुपूरक माँग का सहारा लिया जाना चाहिये। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध संसाधनों या उपलब्ध होने की संभावना को ध्यान में रखना होता है और धन की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का पूर्वानुमान करते समय उचित सावधानी बरतनी होती है।

अनुदान संख्या 11 की जांच से पता चला कि दो मामलों में ₹ 12.00 करोड़ (2019-20), दो मामलों में ₹ 4.00 करोड़ (2020-21) और एक मामले में ₹ 0.40 करोड़ (2021-22) अधिक/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त हुये थे। हालांकि, अंतिम व्यय कुल अनुदान से कम था, जिससे अनुपूरक अनुदान अनावश्यक हो गया और इस प्रकार पाँच मामलों में ₹ 18.03 करोड़ की बचत हुई।

बचत के लिये बताये गये कारण मुख्य रूप से श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पलायन कार्यों के निष्पादन में देरी, लॉकडाउन अवधि के दौरान कर्मचारियों की समस्याओं के कारण ठेकेदार द्वारा चालू खाता बिल जमा न करना, कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू करने के कारण कार्यालय बंद रहना, रिक्त पदों को न भरना, सरकारी सलाहकारों से व्यावसयिक शुल्क बिलों की प्राप्ति न होना तथा प्रशासनिक कारणों से बिलों की गैर-मंजूरी आदि थे।

अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(iii) जहां बचत प्रत्याशित है, पुनर्विनियोजन एक अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई से दूसरी ईकाई में, जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का अंतरण है।

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए अनुदान सं.- 11 के विस्तृत समीक्षा से पता चला कि पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदान का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। राजस्व दतमत/पूंजीगत दतमत क्षेत्र के तहत उप-शीर्ष के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले नीचे विस्तृत रूप से वर्णित है:

- अनुदान संख्या 11 की जांच से पता चला कि 7 उप-शीर्षो के तहत ₹ 18.48 करोड़ (2019-20), 3 उप-शीर्षों के तहत ₹ 2.64 करोड़ (2020-21) और राजस्व दतमत क्षेत्र के 8 उप-शीर्षों के तहत ₹ 36.10 करोड़ (2021-22) की राशि का पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदानों का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे।

  बचत के लिए बताये गए कारण मुख्य रूप से श्रमिकों के पलायन के कारण कार्य के निष्पादन में देरी और कोविड-19 के कारण सरकार द्वारा लाकडाउन लागू किये जाने के कारण ठेकेदार द्वारा बिल जमा न करना (11 मामले), भारत सरकार से धन की प्राप्ति न होना (3 मामले), रिक्त पद भरे नहीं गए, प्रशासनिक कारणों से बिलों की मंजूरी लंबित, काम पूरा होने में देरी, दावों की प्राप्ति में देरी (4 मामले) थे।

- इसी प्रकार 5 उप शीर्षों के तहत ₹ 66.21 करोड़ (2019-20), 4 उप-शीर्षों के तहत ₹ 66.96 करोड़ (2020-21) और पूंजीगत

दतमत क्षेत्र के 5 उप-शीर्षों के तहत ₹ 23.77 करोड़ (2021-22) का पुनर्विनियजन अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदानों का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं थे।

बचत के लिए बताये गए कारण मुख्य रूप से श्रमिकों के पलायन के कारण कार्य के निष्पादन में देरी और कोविड-19 के कारण सरकार द्वारा लॉक डाउन लगाए जाने से ठेकेदार द्वारा बिल जमा न करने (12 मामले), बिजली कंपनी द्वारा शेयर पूंजी की कोई मांग नहीं करना (1 मामला), सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान की मंजूरी आदि लंबित थे (1 मामला)।

कुल बचत:

(iv) लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान **अनुदान सं. 11**, में बड़ी बचत हुई जैसा कि तालिका **3.14** में उल्लेख किया गया है :

तालिका 3.14: बड़ी बचत

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	व्यपगत
2019-20					
राजस्व (दतमत)	9407.26	8759.35	647.91	418.12	229.79
पूंजीगत (दतमत)	9924.98	6541.59	3383.39	2704.66	678.73
कुल	**19332.24**	**15300.94**	**4031.3**	**3122.78**	**908.52**
2020-21					
राजस्व (दतमत)	9788.37	9227.7	560.67	0.67	560.00
पूंजीगत (दतमत)	9684.57	7431.52	2253.05	1866.96	386.09
कुल	**19472.94**	**16659.22**	**2813.72**	**1867.63**	**946.09**
2021-22					
राजस्व (दतमत)	9663.33	8567.92	1095.41	626.46	468.95
पूंजीगत (दतमत)	8806.36	7918.60	887.76	252.14	635.62
कुल	**18469.69**	**16486.52**	**1983.17**	**878.60**	**1104.57**

लगातार बचत

(v) वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के लिए अनुदान सं. 11- 'शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग' के शीर्ष-वार विनियोग लेखा की विस्तृत जाँच से पता चला कि निम्नलिखित उप-शीर्षों के तहत ₹ 10.00 करोड़ या अधिक की लगातार बचत देखी गई जो विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना/कार्यक्रम के संबंध में खराब बजट या निष्पादन में कमी या दोनों का परिचायक था। वर्ष

2019-20 से 2021-22 के दौरान लगातार बचत का विवरण **तालिका 3.15 (क)** में दिया गया है:

तालिका 3.15 (क): उप-शीर्ष में लगातार बचत (₹ 10.00 करोड़ या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	विवरण	2019-20 में बचत	कारण	2020-21 में बचत	कारण	2021-22 में बचत	कारण
1.	2217.80.191.04.00	स्वच्छ भारत मिशन (सी एस एस)	24.00	कार्यान्वयन एंजेसियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में भारत सरकार से दूसरी किश्त प्राप्त न होना	94.84	सीएसएस फंड कम जारी होना	33.00	भारत सरकार से कम फंड जारी होना
2.	2217.80.191.03	स्वच्छ भारत मिशन(राज्य हिस्सा)	10.00	प्रस्ताव की गैर-प्राप्ति	25.53	सीएसएस फंड कम जारी होना	20.00	भारत सरकार से कम फंड जारी होना
3.	2059.80.001.88	स्थापना प्रभार	20.15	लॉकडाउन के कारण मजदूरों का अपने गृह राज्यों में पलायन, ठेकेदार/एजेंसियों द्वारा चालू खातों के बिलों को प्रस्तुत न करना	26.66	लॉकडाउन के कारण मजदूरों का अपने गृह राज्यों में पलायन, ठेकेदार/ एजेंसियों द्वारा चालू खातों के बिलों को प्रस्तुत न करना	20.04	मजदूरों के पलायन के कारण कार्य के निष्पादन में विलंब, ठेकेदार/एंजेसियों द्वारा चालू खातों के बिलों को प्रस्तुत न करना, कोविड-19 महामारी आदि के कारण सरकार द्वारा लॉकडाउन
4.	4217.60.051.97	प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़क, गलियां, मोहल्ला, स्ट्रीट लाइट आदि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और बढ़ाना	150.34	विधायक के विधानसभा क्षेत्र में विकास हेतु तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए रखी हुई धनराशि	46.10	कोविड-19 प्रकोप	41.97	कार्यकारी एंजेसी द्वारा कार्य पूर्ण होने के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप शेष राशि आदि जारी नहीं होना
5.	4217.60.789.98	प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (एससीएसपी) में सड़क, गलियां, मोहल्ला, स्ट्रीट लाइट आदि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और बढ़ाना	35.43	विधायक के विधानसभा क्षेत्र में विकास हेतु तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए रखी हुई धनराशि	16.25	कोविड-19 प्रकोप	14.78	प्रशासनिक कार्यों के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया जाना

इसके अतिरिक्त उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए मामलों के संबंध में बचत के कारणों की अनुदान का प्रबंध करने वाले विभाग के अभिलेखों के साथ नमूना जांच से पता चला कि निम्नलिखित मामलों में कारणों का मिलान नहीं हुआ, जैसा कि **तालिका 3.15 (ख)** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.15 (ख) विभागीय अभिलेखों के अनुसार बचत के कारण

क्र.सं.	उप-शीर्ष	विवरण	लेखापरीक्षा सत्यापन के अनुसार बचत के कारण		
			2019-20	2020-21	2021-22
1.	2217.80.191.04.00	स्वच्छ भारत मिशन (सीएसएस)	प्रस्ताव लागत के अनुसार भारत सरकार से धनराशि प्राप्त नहीं हुई थी	2020-21 में प्राप्त केंद्रीय आवंटन शून्य था	मंत्रालय द्वारा निधियां 28.03.2022 को जारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों का उपयोग किया गया
2.	2217.80.191.03	स्वच्छ भारत मिशन (राज्य हिस्सा)	राज्य का हिस्सा केंद्रीय हिस्से के जारी होने के अधीन है, इसलिए केंद्रीय हिस्से के तहत बचत से राज्य के हिस्से के तहत बचत होती है।	राज्य का हिस्सा केंद्रीय हिस्से के जारी होने के अधीन है, इसलिए केंद्रीय हिस्से के तहत बचत से राज्य के हिस्से के तहत बचत होती है।	राज्य का हिस्सा केंद्रीय हिस्से के जारी होने के अधीन है, इसलिए केंद्रीय हिस्से के तहत बचत से राज्य के हिस्से के तहत बचत होती है।
3.	2059.80.001.88	स्थापना प्रभार	कारण मेल खाता है।	अपर महानिदेशक/प्रधान मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, एवं अधीनस्थ कर्मचारी के रिक्त पद	अपर महानिदेशक/प्रधान मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, एवं अधीनस्थ कर्मचारी के रिक्त पद
4.	4217.60.051.97	प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों, गलियों, इलाकों, स्ट्रीट लाइटों आदि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और बढ़ाना	कारण मेल खाता है।	कारण मेल खाता है।	(i) कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन एवं (ii) प्रदूषण के कारण कार्यालयों के बंद होने के कारण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं कार्य पूर्ण होने के बाद द्वितीय किश्त/शेष राशि कार्यपालन एंजेसियों को जारी न करना
5.	4217.60.789.98	प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों, गलियों, इलाकों, स्ट्रीट लाइटों आदि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और बढ़ाना (एससीएसपी)	कारण मेल खाता है।	कारण मेल खाता है।	(i) कोविड-19 के प्रकोप के कारण लॉकडाउन एवं (ii) प्रदूषण के कारण कार्यालयों के बंद होने के कारण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं कार्य पूर्ण होने के बाद द्वितीय किश्त/शेष राशि कार्यपालन एंजेसियों को जारी न करना

उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2023)।

एक मुश्त प्रावधान

(vi) वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआर) के नियम 8 में प्रावधान है कि, वस्तु शीर्ष '42-एक मुश्त प्रावधान' के तहत प्रावधान ₹ 10 लाख से अधिक नहीं होगा और अन्य सभी मामलों में व्यय को अन्य वस्तु के अनुसार अलग-अलग दिया जाना चाहिये। वित्तीय नियम/बजट नियमावली अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान पर रोक लगाती है सिवाय उन मामलों में जहां आपातकालीन स्थितियों को पूरा करने के लिये या किसी परियोजना/योजना पर प्रारंभिक खर्चों को पूरा करने के लिये तत्काल उपाय किये जाने हैं, जिसे वित्तीय वर्ष में सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया गया है। एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट नोट में प्रस्तावित प्रावधान को सही ठहराने के लिये विस्तृत स्पष्टीकरण दिये जाने की आवश्यकता है।

2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए अनुदान संख्या 11 के लिए एक मुश्त प्रावधानों की जांच से पता चला कि रा.रा.क्षे.दि.स ने 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान क्रमश: वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम (डी एफ पी आर) के नियम 8 के उल्लंघन में बजट के पूंजीगत खंड के तहत ₹ 229.02 करोड़ (15 मामले), ₹ 309.95 करोड़ (15 मामले) और ₹ 246.80 करोड़ (14 मामले) का एकमुश्त बजटीय प्रावधान किया था।

संपूर्ण बजट प्रावधान की बचत

(vii) जीएफआर 2017 का परिशिष्ट 3 और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र में निहित वार्षिक निर्देश निर्धारित करते हैं कि मंत्रालय/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृतियों एवं अन्य प्रासंगिक कारक जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आर्थिक निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने बजट अनुमान तैयार करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, जीएफआर 2017 का नियम 62 (2) प्रावधान करता है कि बचत के साथ-साथ जिन प्रावधानों का लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतिक्षा किए बिना तुरंत सरकार को सौंप दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बाद के स्तर पर अभ्यर्पण से बचने की गुंजाइश को कम करना है।

2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिये अनुदान संख्या 11 की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि वास्तविक आवश्यकता का आकलन किये बिना विभिन्न उप-शीर्षो में प्रावधान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप किए गए प्रावधान

की पूरी राशि बच गई। 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमश: ₹ 51.45 करोड़ (11 मामले), ₹ 70.00 करोड़ (10 मामले), ₹ 155.44 करोड़ (12 मामले) के प्रावधान (संशोधित परिव्यय) की पूरी राशि की बचत खराब बजट और वित्तीय नियंत्रण को दर्शाती है।

व्यय की अधिकता

(viii) जीएफआर 2017 का नियम 62(3) प्रावधान करता है कि व्यय की अधिकता को विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 जनवरी 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही और अंतिम महीने यानी मार्च में व्यय को बजट के क्रमश: 25 *प्रतिशत* और 10 *प्रतिशत* तक सीमित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 1,116.61 करोड़ के कुल प्रावधान के 12 मामलों में ₹ 974.57 करोड़ (87 *प्रतिशत*) और ₹ 713.43 करोड़ (64 *प्रतिशत*) का व्यय शामिल है और ₹ 3785.4 करोड़ के कुल प्रावधान के 18 मामलों में ₹ 3,180.88 करोड़ (84 *प्रतिशत*) और ₹ 2,931.10 करोड़ (77 *प्रतिशत*) का व्यय शामिल है तथा ₹ 2,693 करोड़ के कुल प्रावधान के 8 मामलों में ₹ 2,279.01 करोड़ (85 *प्रतिशत*) और ₹ 2135.53 करोड (79 *प्रतिशत*) का व्यय शामिल है जो क्रमश: वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के अंतिम तिमाही एवं अंतिम महीने में किए गए थे।

3.5.6 अन्य अनियमितता

(i) दिनांक 9 जुलाई 2003 के कार्यालय ज्ञापन सं. : एफ. सं० 15(4)/बी(डी) के साथ पठित वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (बजट प्रभाग) द्वारा जारी बजट परिपत्र 2022-23 का पैरा 15.1 प्रावधान करता है कि एक मंत्रालय/विभाग द्वारा किए गए व्यय को समेकित करने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु "सूचना प्रौद्योगिकी" के लिए एक विस्तृत शीर्ष '99' आवंटित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उक्त निर्देश का पालन नहीं किया गया है तथा 'सूचना प्रौद्योगिकी' पर ₹ 0.55 करोड़ के व्यय का वर्गीकरण शीर्ष '99' के स्थान पर शीर्ष '2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग-लघु शीर्ष-800-अन्य-उपशीर्ष 62-उद्योग निदेशालय के अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण-विस्तृत शीर्ष-00' के अंतर्गत अनुदान एवं विनियोग लेखा की विस्तृत मांग में किया गया है।

वित्त विभाग ने कहा (सितंबर 2022) कि विभागों को सलाह दी गई थी कि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित व्यय से संबंधित धनराशि 'विस्तृत शीर्ष-99' के अंतर्गत प्राप्त की जानी है।

3.6 अनुशंसाएँ

1. सरकार को विभागों की जरूरतों की विश्वसनीय धारणाओं एवं आवंटित संसाधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता के आधार पर एक वास्तविक बजट तैयार करने की आवश्यकता है;
2. बजट के उचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक उपयुक्त नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की जरूरत है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत में कटौती की जाती है, अनुदान/विनियोग के भीतर बड़ी बचत नियंत्रित होती है, और अनुमानित बचत की पहचान की जाती है एवं निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभ्यर्पित कर दिया जाता है।